

आदेश

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किये जाने की स्थिति में जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा/बचाव/रोकथाम की दृष्टि से गृह (गुप-9)विभाग के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 22.03.2020 के क्रम में वित्त विभाग के अधीन विभागों के कार्यालयों में दिनांक 31.03.2020 तक राजकार्य सम्पादित करने हेतु निम्नांकित कार्यालयों को खोले जाने का निर्णय लिया है :-

1. वित्त (बजट) विभाग के अधीन विभाग
निदेशालय, पेंशन विभाग

2. वित्त (राजस्व) विभाग के अधीन विभाग

1. पाणिज्यिक कर विभाग एवं इसके अधीनस्थ "रेवेन्यू कलेक्शन" से संबंधित कार्यालय
2. आयकारी आयुक्त कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय
3. RSGSM व अन्य डिस्टलरी जो कि हैंड सेनिटाईजर का कार्य करेगी
4. IGRS व इसके अधीनस्थ कार्यालय
5. निदेशक कोष एवं लेखा (DTA) व उप कोषालय (Sub Treasuries)
6. परिवहन विभाग व इसके अधीनस्थ "रेवेन्यू कलेक्शन" से संबंधित कार्यालय
7. Department of Mining जो "रेवेन्यू कलेक्शन" से संबंधित है
8. RSBCL व इसके अधीनस्थ कार्यालय

उपरोक्त सभी विभागों के दिभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय के अलावा उनके अधीनस्थ जो कार्यालय राजस्व से सीधे संबंधित हैं, केवल वे ही कार्यालय खोले जायें। उनमें भी आवश्यकतानुसार सीमित स्टाफ को ही उपस्थिति सुनिश्चित करें।

3. वित्त (धन्य) विभाग के अधीन विभाग

1. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एवं निरीक्षण का मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का समस्त स्टाफ Work from Home की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
2. राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग के संबंध में कोष कार्यालय में वेतन बिल की जाँच का कार्य सुचारु तरीके से सम्पन्न किये जाने हेतु समुचित निर्णय लेने के लिए निदेशक, बीमा व्यवस्था करेंगे एवं समस्त स्टाफ की Work from Home की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे।

अन्य विभागों द्वारा राजकार्य सम्पादित करने के लिए उनके अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार कार्यालय आने हेतु अपने स्तर पर निर्देशित किया जा सकेगा। सभी अधिकारी/कर्मचारी टेलीफोन/मोबाईल पर हर समय अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

इस दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये अपकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।



(निरंजन कुमार आर्य)

आतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त